



Neutral Citation No.- 2026: AHC-LKO:21601

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 सीआर०पी०सी० संख्या

231 वर्ष 2026

इसरार अहमद

....प्रार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ।

....विपक्षीगण

प्रार्थी के अधिवक्ता

: संजय शुक्ला, सत्येन्द्र नाथ पांडे

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 28

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 409, 504, 506 के तहत मामले संख्या 158/2023 थाना कैसरबाग, जिला लखनऊ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई।
3. अभियोजन पक्ष के मामले में आरोप है कि शिकायतकर्ता ने ग्लोरियस हिंदुस्तान इंप्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जुनैद अहमद खान को व्यवसाय में निवेश के लिए आरटीजीएस और नकद के माध्यम से 15 लाख रुपये दिए थे और हर तीन महीने में 1.5 लाख रुपये देने का वादा किया गया था। लेन-देन का एक लिखित समझौता तैयार किया गया था, लेकिन आज तक एक भी पैसा वापस नहीं किया गया है। 18.9.2023 को सुबह लगभग 11 बजे, जब शिकायतकर्ता नजरबाग स्थित आरोपी के घर गया, तो उसे गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई।
4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम नहीं है। कंपनी में सह-निदेशक होने के नाते प्रार्थी को इस मामले में फंसाया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कंपनी के खाते का एकमात्र संचालक प्रबंध निदेशक जुनैद अहमद खान है, जिसे लखनऊ के सत्र न्यायाधीश ने जमानत दे दी है, जो कि जमानत याचिका के अनुलग्नक-3 में सलग्न है। प्रार्थी समझौते का केवल मामूली गवाह है। वह लाभार्थी नहीं है। कथित धनराशि कंपनी के खाते में जमा कर दी गई है। प्रार्थी ने जमानत आवेदन के पैरा 19 में तीन मामलों के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है।

एक अन्य सह-आरोपी जुनैद अहमद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 12.9.2025 को अग्रिम जमानत याचिका संख्या 975/2025 में पारित आदेश के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया है (आदेश पेपर बुक के पृष्ठ 45 पर रिकॉर्ड में दर्ज है)। प्रार्थी समानता की मांग करता है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह आश्वासन दिया है कि प्रार्थी जांच में सहयोग करेगा।

5. विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रार्थी के खिलाफ जांच जारी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, प्रार्थी द्वारा आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण देने, सह-आरोपी की अग्रिम जमानत/जमानत के आदेशों (ऊपर उल्लेखित), वर्तमान प्रार्थी के खिलाफ चल रही जांच, प्रार्थी की ओर से दिए गए वचन कि वह चल रही जांच में सहयोग करेगा, अभिलेखों के अवलोकन, साथ ही **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य (2020)5 एससीसी 1** के फैसले को ध्यान में रखते हुए और मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, प्रार्थी को संरक्षण प्रदान करना उचित होगा।
7. उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, प्रार्थी को जांच अधिकारी/एस.एच.ओ. की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
- प्रार्थी को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। जांच अधिकारी उपरोक्त निर्देशानुसार प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा कर देगा।
8. प्रार्थी जांच में सहयोग करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- चूक की स्थिति में, जांच एजेंसी के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ना/इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करना संभव होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. समता के आधार पर भी प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती)

25 मार्च, 2026

केकेयच/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।